



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232340  
CG-DL-E-01012022-232340

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]  
No. 748]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSHA 10, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

**सा.का.नि.927(अ).**—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, झारखंड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2021 है।  
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "झारखंड" शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"झारखंड"

|  |     |
|--|-----|
| राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ झूटी पद | 122 |
| सरकार के मुख्य सचिव                    | 1   |
| विकास आयुक्त                           | 1   |

|   |    |
|---|----|
| सदस्य, राजस्व बोर्ड   | 1  |
| महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान                   | 1  |
|   |    |
| प्रधान सचिव   | 6  |
| राज्यपाल के प्रधान सचिव                                     | 1  |
| मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव                                  | 1  |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी                                      | 1  |
| प्रधान सचिव, कृषि   | 1  |
|   |    |
| मंडल आयुक्त   | 5  |
| सरकार के सचिव   | 22 |
|   |    |
| विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव                                   | 22 |
| जनजातीय कल्याण आयुक्त                                       | 1  |
| निदेशक, उद्योग  | 1  |
| आई जी, जेल  | 1  |
| आई जी, पंजीकरण  | 1  |
| राज्य परिवहन आयुक्त   | 1  |
| श्रम आयुक्त   | 1  |
| पंजीयक, सहकारी समितियां                                     | 1  |
| जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डीसी/एडीसी                          | 24 |
| नगर आयुक्त/बन्दोबस्त अधिकारी/डीडीसी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 10 |
| आयुक्त, वाणिज्य कर  | 1  |
| निदेशक, पंचायती राज   | 1  |
| निदेशक, नगर निगम प्रशासन                                    | 1  |
| निदेशक, भूमि अधिग्रहण और भूमि रिकॉर्ड                       | 1  |
| मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन               | 1  |
| निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान                                  | 1  |
| आयुक्त, मनरेगा  | 1  |
| प्रशासक, स्वर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना                      | 1  |
| निदेशक, प्राथमिक शिक्षा                                     | 1  |
| निदेशक, माध्यमिक शिक्षा                                     | 1  |
| निदेशक, समाज कल्याण   | 1  |
| निदेशक, खेल   | 1  |
| निदेशक, पर्यटन  | 1  |
| निदेशक, कृषि  | 1  |
| उपाध्यक्ष, आरआरडीए  | 1  |
| निदेशक, एसयूडीए   | 1  |
| नगर आयुक्त, रांची नगर निगम                                  | 1  |
| मिशन निदेशक, झारखंड राज्य कौशल मिशन सोसाइटी                 | 1  |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद  | 122         |
| 2. | केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं।  | 48          |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं।   | 30          |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं।  | 04          |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं।  | 20          |
| 6. | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं। | 68          |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)   | 156         |
|    | <b>कुल प्राधिकृत पद संख्या</b>  | <b>224"</b> |

[ फा. सं. 11031/03/2020-अ.भा.से.-II(क)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

**टिप्पणी 1:** इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व झारखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 215 थी।

**टिप्पणी 2:** मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था:-

| क्र. सं. | सा.का.नि. संख्या | तारीख      |
|----------|------------------|------------|
| 1.       | 808(अ)           | 21.10.2000 |
| 2.       | 809(अ)           | 21.10.2000 |
| 3.       | 443              | 03.12.2004 |
| 4.       | 78(अ)            | 08.02.2008 |
| 5.       | 188(अ)           | 24.03.2009 |
| 6.       | 403(अ)           | 13.05.2010 |
| 7.       | 1012(अ)          | 29.12.2015 |

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021.

**G.S.R. 927(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Jharkhand**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "**Jharkhand**" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

**“Jharkhand**

|  |   |            |
|--|---|------------|
|  | <b>Senior Duty Posts under the State Government</b>                   | <b>122</b> |
|  | Chief Secretary to Government   | 1          |
|  | Development Commissioner  | 1          |
|  | Member, Board of Revenue  | 1          |
|  | Director General, Sri Krishna Institute of Public Administration      | 1          |
|  | Principal Secretary   | 6          |
|  | Principal Secretary to Governor                                       | 1          |
|  | Principal Secretary to Chief Minister                                 | 1          |
|  | Chief Electoral Officer   | 1          |
|  | Principal Secretary, Agriculture                                      | 1          |
|  | Divisional Commissioner   | 5          |
|  | Secretary to Government   | 22         |
|  | Special/Additional/Joint/Deputy Secretary                             | 22         |
|  | Tribal Welfare Commissioner   | 1          |
|  | Director Industries   | 1          |
|  | I.G. Prison   | 1          |
|  | I.G. Registration   | 1          |
|  | State Transport Commissioner  | 1          |
|  | Labour Commissioner   | 1          |
|  | Registrar, Cooperative Societies                                      | 1          |
|  | District Magistrate/Collector/DC/ADC                                  | 24         |
|  | Municipal Commissioner/Settlement officer/DDC/Chief Executive Officer | 10         |
|  | Commissioner, Commercial Taxes  | 1          |
|  | Director, Panchayati Raj  | 1          |
|  | Director, Municipal Administration                                    | 1          |
|  | Director, Land Acquisition & Land Records                             | 1          |
|  | Mission Director, National Rural Health Mission                       | 1          |
|  | Director, Sarva Shiksha Abhiyan                                       | 1          |
|  | Commissioner, MNREGA  | 1          |
|  | Administrator, Swarn Rekha Multipurpose Project                       | 1          |
|  | Director, Primary Education   | 1          |
|  | Director, Secondary Education   | 1          |
|  | Director, Social Welfare  | 1          |
|  | Director, Sports  | 1          |
|  | Director, Tourism   | 1          |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
|          | Director, Agriculture  | 1           |
|          | Vice Chairman, RRDA  | 1           |
|          | Director, SUDA   | 1           |
|          | Municipal Commissioner, Ranchi Nagar Nigam   | 1           |
|          | Mission Director, Jharkhand State Skill Mission Society  | 1           |
|          |  |             |
| <b>1</b> | <b>Total Senior Duty Posts</b>   | <b>122</b>  |
| <b>2</b> | <b>Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above</b>  | 48          |
| <b>3</b> | <b>State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above</b>  | 30          |
| <b>4</b> | <b>Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above</b>   | 04          |
| <b>5</b> | <b>Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above</b>  | 20          |
| <b>6</b> | <b>Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 &amp; 4 above</b> | 68          |
| <b>7</b> | <b>Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)</b>   | 156         |
|          | <b>Total Authorised Strength</b>   | <b>224"</b> |

[F. No. 11031/03/2020-AIS-II(A)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

**Note 1:** Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Jharkhand IAS Cadre was 215.

**Note 2:** The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Jharkhand Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

| S.No. | GSR Nos. | Date       |
|-------|----------|------------|
| 1.    | 808(E)   | 21.10.2000 |
| 2.    | 809(E)   | 21.10.2000 |
| 3.    | 443      | 03.12.2004 |
| 4.    | 78(E)    | 08.02.2008 |
| 5.    | 188(E)   | 24.03.2009 |
| 6.    | 403(E)   | 13.05.2010 |
| 7.    | 1012(E)  | 29.12.2015 |